प्रकाशनार्थ

प्रैस विज्ञप्ति

ब्राह्मण महासंघ ने दिया नवीन जिन्दल को समर्थन

कुरुक्षेत्र, 29अप्रैल : कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी पार्टी है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। आज जबकि देश में आतंकवाद मुंह बाए खड़ा है, हमें एकजुट होकर राष्ट्रहित में क्षेत्रवाद की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहिए। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में निवर्तमान सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिन्दल ने विकास की अनूठी मिसाल कायम की है और ऐसे युवा, कर्मठ एवं गतिशील राजनेता को ही समाज एवं राष्ट्र के मद्देनजर चुनकर पुन: संसद में भेजा जाना चाहिए।

उक्त शब्द आज यहां जारी एक बयान में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सुरेश कुमार वशिष्ठ टीकली वाले ने कहे। श्री वशिष्ठ ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय हमेशा से ही समाज का नेतृत्व करता रहा है और आज वक्त आन पड़ा है कि वह लोक लुभावन एवं अल्प कालीन हितों को छोड़ कर समाज के दूरगामी फैसलों के मद्देनजर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें।

श्री नवीन जिन्दल के पक्ष में उन्होंने कहा कि जिन्दल परिवार ने हर तरह से इस देश की सेवा की है और राजनीति इनके लिए पैसे कमाने का जरिया नहीं है। भगवान परशुराम के वंशजों को समझना चाहिए कि उन्होंने हमेशा न्याय का साथ दिया है और समाज के दलित, शोषित और पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए सामने आए हैं। नवीन जिन्दल हर तरह से एक कुशल एवं योग्य उम्मीदवार हैं और संसद में दोबारा उन्हें भेजा ही जाना चाहिए।

ब्राह्मण समुदाय से क्षेत्रीय पार्टियों के बहकावे में न आने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इन दलों की सोच संकुचित एवं संकीर्ण है और ये प्राईवेट लि. कम्पनियों की तरह काम करते हैं, इसलिए अपने हित को समझते हुए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और हर तरह से कुशल प्रशासक डा. मनमोहन सिंह के हाथों को मजबूत करने के लिए आगामी चुनावों में नवीन जिन्दल को ही भारी मतों से विजयी बनाएं।

अरोड़ा के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत

कुरुक्षेत्र, 29 अप्रैल : एन.डी.ए. प्रत्याशी अशोक अरोड़ा द्वारा अपनी चुनावी जनसभाओं में मतदाताओं से पैसा बटोरने और उन्हें झूठे आश्वासन को आचार संहिता का उल्लंघन मानकर मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला एवं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल से उनकी शिकायत की गई है। यह शिकायत शांतिनगर निवासी रमेश कुमार ने की है।

चुनाव आयोग को भेजे पत्र में कहा गया है कि शांति नगर और ज्योतिसर में गत 27 अप्रैल को आयोजित जनसभाओं में श्री अरोड़ा को उनके वजन के बराबर सिक्कों से तोला गया था, जिसकी खबर स्थानीय अखबारों समेत विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी।

पत्र के मुताबिक चुनाव आयोग की आचार संहिता में साफ लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा इस तरह के उपहार लेने के लिए पहले से सरकारी मंजूरी लेना जरूरी है और चुनाव विभाग को इसका पूरा लेखा जोखा दिया जाना चाहिए। श्री कुमार का कहना है कि अशोक अरोड़ा ने इस सम्बंध में कोई मंजूरी नहीं ली है अत: क्यों न उनकी इस कार गुजारी को आचार संहिता को उल्लंघन माना जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :
मीडिया सैल
(नवीन जिन्दल कार्यालय)
मो. 099961-01107, 09818108368, 09818552437
rohillavikas_1988@yahoo.co.in, mediacell.kkr@gmail.com